मीरजापुर पुलिस

—प्रेस नोट—

दिनांकः 18.08.2025

थाना लालगंज पुलिस टीम द्वारा गैंगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित ₹ 20 हजार का इनामिया गिरफ्तार—

"सोमेन बर्मा" वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने तथा अपराध की रोकथाम एवं इनामिया/पुरस्कार घोषित अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान में प्रभावी कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त थाना प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षगण को निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन व क्षेत्राधिकारी लालगंज के नेतृत्व में थाना लालगंज पुलिस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दिनांक 17.08.2024 को थाना लालगंज पुलिस टीम द्वारा क्षेत्र में भ्रमणशील थे कि इस दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर थानाध्यक्ष संजय कुमार सिंह मय पुलिस टीम द्वारा थाना लालगंज क्षेत्रांतर्गत ग्राम तुलसी ओवर ब्रिज के पास से मु0अ0सं0--308/2025 धारा-3(1) उ0प्र0 गैंगस्टर अधिनियम के अभियोग से सम्बन्धित ₹ 20 हजार के इनामिया अभियुक्त सलमान पुत्र असगर अंसारी ग्राम फतेहपुर थाना को0 चंदौली जनपद चंदौली को गिरफ्तार किया गया,जिसके कब्जे से एक अदद देशी तंमचा 12 बोर मय जिंदा कारतूस 1 अदद बरामद किया गया । थाना लालगंज पुलिस द्वारा उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को मा0न्यायालय/जेल भेजा गया।

पंजीकृत अभियोग –

1. मु0अ0सं0--308/2025 धारा-3(1) उ0प्र0 गैंगस्टर अधिनियम थाना लालगंज जनपद मीरजापुर।
2. मु0अ0सं0--326/2025 धारा-3/25 आयुध अधिनियम थाना लालगंज जनपद मीरजापुर।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त—

सलमान पुत्र असगर अंसारी ग्राम फतेहपुर थाना को0 चंदौली जनपद चंदौली, ।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम—

थानाध्यक्ष- संजय कुमार सिंह , मय पुलिस टीम थाना लालगंज जनपद मीरजापुर।

****